

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

ब्लाक-बी, द्वितीय एवं तृतीय तल विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फ़ैक्स : 2511918 ई-मेल- rcs.coop@nic.in

क्रमांक/विधि/2014/ 5628
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर, 2014

उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,
समस्त छ0ग0


विषय :- धान खरीदी तथा अन्य कारणों से प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल/कर्मचारियों के विरुद्ध धारा 53(2), 53(10), 53(1) व धारा 64 एवं 55(2) प्रचलित कार्यवाहियों के संबंध में।

—00—

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में धान खरीदी में अनियमितता या अन्य कारणों से दोषी पाये गये अथवा जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के उपरांत भी दोषी संचालक मण्डल/कर्मचारी अपने पद पर उसी स्थान पर बने हुए हैं, ऐसे संस्था अध्यक्ष/संचालक मण्डल/कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि यदि अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारियों के विरुद्ध एक से अधिक वर्षों में दोषी पाये गये हों या जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन हो तो प्रत्येक अनियमितता के संबंध में जानकारी दी जावे साथ ही विभागीय अधिकारी/कर्मचारी जो प्रभारी अधिकारी के तौर पर संस्था में पदस्थ रहे हैं, के संबंध में भी जानकारी प्रदान करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण कर जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


21.11.14
(अबिनाश चम्पावत)


पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

//2//

क्रमांक/विधि/2014/ 5628
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर, 2014

- 1 प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या0 रायपुर।
- 2 संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या0 समस्त छ0ग0।
- 4 समस्त प्राथमिक साख सहकारी संस्थाएं, छ0ग0।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

धान खरीदी तथा अन्य कारणों से प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं संचालक मण्डल / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाहियों के संबंध में

क्र	संचालक मण्डल											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अध्यक्ष / सदस्य का नाम जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो या प्रस्तावित हो	वर्ष जिसमें कार्यवाही की गई हो / प्रस्तावित है	कार्यवाही का कारण धान खरीदी / अन्य	अध्यक्ष / सदस्य का नाम जिसके विरुद्ध कार्यवाही होने / प्रस्तावित होने के उपरान्त भी पद पर बने हुए हैं	यदि किसी न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरण पर स्थगन / अंतिम निराकरण किया गया हो तो विवरण	रिमार्क	अधिकारी / कर्मचारी का नाम जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो या प्रस्तावित हो	वर्ष जिसमें कार्यवाही की गई हो / प्रस्तावित है	कार्यवाही का कारण धान खरीदी / अन्य	संस्था में कार्यरत संस्था / बैंक के दोषी अधिकारी / कर्मचारी का नाम जिसके विरुद्ध कार्यवाही होने / प्रस्तावित होने के उपरान्त भी उसी स्थान पर बने हुए हैं	यदि किसी न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरण पर स्थगन / अंतिम निराकरण किया गया हो तो विवरण	रिमार्क

संस्था में प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्यरत विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में						
1	14	15	16	17	18	19
1	अधिकारी / कर्मचारी का नाम जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो या प्रस्तावित हो या शिकायत की गई हो	वर्ष जिसमें कार्यवाही की गई हो / प्रस्तावित है / प्राप्त शिकायतों का विवरण	कार्यवाही का कारण धान खरीदी / अन्य	ऐसे दोषी अधिकारी / कर्मचारी का नाम जिसके विरुद्ध कार्यवाही होने / प्रस्तावित होने के उपरान्त भी उसी स्थान पर बने हुए हैं	यदि किसी न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरण पर स्थगन / अंतिम निराकरण किया गया हो तो विवरण	रिमार्क